


उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 1100/VII-1/2018/3 स्टोन क्रेशर/15
देहरादून, दिनांक: 06 जुलाई 2018
उगलत
कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-320/VII-1/03-स्टोन/2015, दिनांक 26 मार्च, 2015 द्वारा श्री महेश बहुगुणा पुत्र स्व० श्री भुवनेश्वरी प्रसाद बहुगुणा, निवासी ग्राम रिंगल्टी, पट्टी चलणस्यूं, तहसील श्रीनगर, श्री अरूण प्रकाश पुत्र स्व० श्री इन्दरा प्रकाश बहुगुणा, ग्राम रिंगल्टी, पौड़ी गढ़वाल एवं श्रीमती प्रेमलता बहुगुणा, ग्राम पोखरी, पट्टी चलणस्यूं, तहसील श्रीनगर गढ़वाल द्वारा मै० शिविन्द्रा इन्टर प्राईजेज ग्राम रिंगल्टी, पो० पोखरी, तहसील श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के पक्ष में तहसील श्रीनगर गढ़वाल, पट्टी चलणस्यूं के ग्राम रिंगल्टी के क्षेत्रान्तर्गत कुल 0.613 है० (1.51 एकड़) निजी नाप भूमि में तत्समय उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु प्रचलित स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा नीति, 2011 के अन्तर्गत 100 मैट्रिक टन प्रति दिन क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 03 वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 9 एवं अध्याय-III के बिन्दु सं० 1 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 89/खनन/स्टो०क्रे०-विनि०/पौ०/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में प्लान्ट स्वामी द्वारा घोषित क्षमता के आधार पर स्टोन क्रेशर की क्षमता 20 टन प्रति घंटा निर्धारित कर तदनुसार संबंधित स्टोन क्रेशर का विनियमितीकरण करते हुए उक्त नीति के अध्याय-III के बिन्दु सं० 2 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा स्टोन क्रेशर संचालन की अनुज्ञा का 05 वर्ष की अवधि हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नवीनीकरण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-III के बिन्दु सं० 1(1) के प्रावधानानुसार अग्रेत्तर वार्षिक शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित करेगा।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० ऊँची होगी।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
8. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
9. स्टोन क्रेशर तथा कच्चेयार बेल्ट को covered shed सेड के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल हवा में न उड़े।



12. स्टोन केशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
13. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
14. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण केशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
15. स्टोन केशर स्वामी द्वारा फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
16. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कबिंग की जायेगी। स्कबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
17. स्टोन केशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016, यथासंशोधित के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना होगा।
18. स्टोन केशर को भण्डारण की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा स्टोन केशर स्वामी को स्टोन केशर संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्या:- 1160 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० शिविन्द्रा इन्टर प्राईजेज ग्राम रिंगल्टी, पो० पोखरी, तहसील श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गरिमा रौकली)

संयुक्त सचिव